कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर

श्री हामतसिंह व अन्य — **विपक्षी** श्री नाथु व अन्य

मुकदमा धारा–212 राज. काश्त. अधिनियम — **प्रकरण संख्या** 43/2020

कार्यवाही विवरण

15/10/2024

–::निर्णय::–

उपस्थितः श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता – प्रार्थीगण
विपक्षीगण – एकपक्षीय

प्रार्थीगण द्वारा आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 सी.पी.सी. व धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि मौजा पानीकोटडा पटवार हल्का सराडी ,भू.अ.नि. खराका तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 13 आराजी नम्बर 237, 238, 239, 240 कुल किता 4 रकबा 0.33 हैक्टेयर कृषि भूमि के प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादीगण जबरन वादीगण के स्वामित्व की भूमि पर जबरन प्रवेश कर निर्माण कर रहे है। दिनांक 09–10–2020 को प्रतिवादीगण वादी संख्या 1 हामतसिंह के कब्जे एवं स्वामित्व की उपरोक्त कृषि भूमि में जबरन प्रवेश कर कांटो की बाडा को नष्ट कर नींव खुदवा ने लगा जिसे रोकने हेतु वादी नं. 1 एवं अन्य सहखातेदार नें रोका लेकिन वे नही माने इसलिये वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा वाद के साथ उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः निवेदन है कि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे की मूलवाद के निस्तारण वादीगण की कृषि भूमि में विपक्षीगण किसी भी प्रकार का कोई कच्चा अथवा पक्का निर्माण नही करे, नही वादीगण को बेदखल करे व न ही उक्त कृत्य अपने नौकरो, परिजनो से करावे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर अधिवक्ता श्री गोतमलाल मीणा ने वकालतनामा पेश किया। आदेशिका दिनांक 14–10–2020 को विपक्षीगण के खिलाफ अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। उसके बाद विपक्षीगण को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही किया। आदेशिका दिनांक 01–07–2024 विपक्षीगण मय अधिवक्ता के गैर हाजिर रहने से विपक्षीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तद्पश्चात पत्रावली मे अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अपने प्रार्थनापत्र अनुसार रही।

बहस मनन की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि का रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया मामल एवं सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णियक्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे उचित प्रतित होते है।

अतः आदेशिका दिनांक 14–10–2020 को जारि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म कि जाती है एवं विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा पानीकोटडा मे स्थित प्रार्थीगण के आराजी नम्बर 237, 238, 239, 240 कुल किता 4 रकबा 0.33 हैक्टेयर कृषि भूमि मे किसी प्रकार का कच्चा अथवा पक्का निर्माण कार्य नही करे न ही उक्त कृत्यु अपने नौकरो अथवा परिजनो से करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 15/10/24 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
सहायक कलक्टर सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर